

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1156

उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

आंध्र प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा

† 1156. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी (मेगा डीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र की सुरक्षा, भर्ती प्रक्रियाओं और खेल कोटे के तहत नियुक्तियों से संबंधित आरोपों सहित अन्य अनियमितताओं के आरोपों और अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने इन आरोपों के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार या किसी अन्य एजेंसी से कोई रिपोर्ट या स्पष्टीकरण मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली बड़े पैमाने की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, गोपनीयता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई निगरानी तंत्र अथवा मानक दिशानिर्देश या प्रोटोकॉल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं और उन पर की गई कार्रवाई का कोई डेटाबेस होता है; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर होने वाली सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने, पेपर लीक को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कोई एडवाइजरी या रूपरेखा जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और उनकी तैनाती से संबंधित मामले संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं।

शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण हेतु एक पारदर्शी, सुदृढ़ तथा अधिमानतः ऑनलाइन प्रणाली अपनाने की सलाह देता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से संसद द्वारा सार्वजनिक

परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिनियमित किया गया है। सार्वजनिक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह विधेयक राज्यों के लिए एक मॉडल प्रारूप के रूप में कार्य करेगा, जिसे वे अपने विवेकानुसार अपनाने का निर्णय ले सकते हैं।
